न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या :– 89/2020

पवन कुमार पुत्र दलीप कुमार जाति जाट साकिन खोथावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

—— प्रार्थी

–:बनाम:–

1. देवरानी पत्नी हरीराम जाति जाट साकिन खोथावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. दलीप कुमार पुत्र हरीराम जाति जाट साकिन खोथावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
3. राकेश कुमार पुत्र हरीराम जाति जाट साकिन खोथावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
4. अनिला पुत्री हरीराम जाति जाट साकिन खोथावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
5. विमला पुत्री हरीराम जाति जाट साकिन खोथावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
6. केशव कुमार पुत्र दलीप कुमार बउम्र 17 वर्ष नाबालिग जरिये कुदरती बली माता सिलोचना देवी पत्नी दलीप कुमार जाति जाट साकिन खोथावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

——अप्रार्थीगण

–:: प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अधि. बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा ::–

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1.	श्री हीरा लाल बिरथलिया	—— प्रार्थी
2.	श्री महेन्द्र कुमार सैन	—— अप्रार्थी सं. 2, 4, 5
3.	राजपैरोकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा।	—— अप्रार्थी सं. 7

–:: निर्णय ::–

दिनांक:– 21/10/2024

यह है कि उक्त अनवान सदर का वाद पत्र माननीय न्यायालय मे पेश हो चुका है जिसमे प्रार्थी को कामयाबी की पूर्ण संभावना है। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष मे है। यह कि प्रार्थी हिन्दु संयुक्त परिवार का सदस्य है जो मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ से शासित होते है जो परस्पर सहदायिक एवं सहअंशदायी है। जहां तक प्रार्थना पत्र का संबंध है सजरा खानदान निम्न प्रकार से है:–

Signature Not Verified

Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.10.22 12:21:59 IST
Reason: SelfAttested

यह कि अप्रार्थी सं. 1 के नाम से संयुक्त खाता की खातेदारी भूमि चाक तहसील पीलीबंगा के चक नं. 29 एमओडी–बी के खाता सं. 61 के मु.नं. 24/[illegible] के किला नं. 6, 7/2, 21 की 0.426 हैक्ट., प.नं. 19/254 के किला नं. 1/2, 5, 6, [illegible]/2 की 0.769 हैक्ट. इसी प्रकार कुल तादादी 1.195 हैक्ट. नहरी म.गै.मु. में से 5/6 हिस्सा कृषि भूमि मुताबिक नकल जमाबन्दी सम्वत् 2075–78 दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। चित्रप्रति जमाबन्दी संलग्न प्रार्थना पत्र है।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 मे अप्रार्थी सं. 1 के नाम वर्णित कृषि भूमि पूर्व मे प्रार्थी के पड़दादा श्री नत्थू वल्द लाधूराम के नाम से दर्ज राजस्व रिकॉर्ड थी जिनके देहान्त के पश्चात उनके वारिसों अर्थात प्रार्थी के दादा श्री हरीराम पुत्र नत्थूराम के नाम से विरासतन ओद होकर तत्पश्चात कृषि भूमि का विभाजन हुआ और प्रार्थी के दादा श्री हरीराम के नाम से राजस्व रिकॉर्ड मे इन्द्राज हुई। दादा श्री हरीराम के देहान्त के पश्चात अप्रार्थी सं. 1 परिवार के मुख्या कर्ता होने के कारण अप्रार्थी सं. 2 ता 5 ने अपना समस्त हक व हिस्सा का त्याग अप्रार्थी सं. 1 मे कर दिया। इस प्रकार अप्रार्थी सं. 1 के नाम वर्णित कृषि भूमि प्रार्थी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमे प्रार्थी का जन्म से ही हक व हिस्सा निहित हो चुका है। साक्ष्य पैतृक इन्तकाल प्रति, जमाबन्दी प्रति संलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 मे अप्रार्थी सं. 1 के नाम वर्णित कृषि भूमि का प्रार्थी व अपार्थी सं. 1 ता 3 व 6 के मध्य अर्सा समय पूर्व घरा घरू बंटवारा हुआ और घरा घरू बंटवारा के समय अप्रार्थी सं. 4–5 ने अपना हक व हिस्सा का त्याग प्रार्थी, अप्रार्थी सं. 2. अप्रार्थी सं. 6 के हक में करने के पश्चात प्रार्थी, अप्रार्थी सं. 2, अप्रार्थी सं. 6 को 3/4 हिस्सा व अप्रार्थी सं. 3 को 1/4 हिस्सा प्राप्त हुआ तथा अप्रार्थी सं. 1 के भरण पोषण, जीवन यापन एवं दवा तथा देख रेख प्रार्थी, अप्रार्थी सं. 2, अप्रार्थी सं. 6 ने संयुक्त रूप से ली और प्रवितादी सं. 1 प्रार्थी व प्रार्थी के पिता दलीप कुमार के साथ रिहायस करने की मंशा जाहिर की और अप्रार्थी सं. 1 अपनी स्वतंत्र सहमति एवं रजामन्द से अपनी पुत्रीयों व अन्य परिवार के सदस्यों की मौजुदगी मे अपने पुत्र दलीप कुमार के साथ रिहायस करने लग गई।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 मे अप्रार्थी सं. 1 के नाम वर्णित कृषि भूमि का मुताबिक घरू बंटवारा अनुसार प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 2, 3, 6 काबिज काश्त हुए लेकिन वर्तमान राजस्व अभिलेख मे वादग्रस्त भूमि अप्रार्थी सं. 1 के नाम से दर्ज होने से प्रार्थी की हकूकुक खातेदारी पर विपरित असर पड़ता है इसलिए प्रार्थी अप्रार्थी सं. 1 के नाम वर्णित 1.195 हैक्ट. कृषि भूमि मे से 5/6 हिस्सा के 3/4 हिस्सा मे से 1/3 हिस्सा की घोषणा करवाने का अधिकारी हैं।

यह कि कुछ दिन पूर्व अप्रार्थी सं. 3 के मन मे बदनियति आ जाने के कारण अप्रार्थी सं. 1 को प्रार्थी के परिवार से बुला परचाकर अपने साथ ले गया और वर्तमान मे वादग्रस्त भूमि अप्रार्थी सं. 1 के नाम से दर्ज होने का नाजायज फायदा अप्रार्थी सं. 3 उठाने पर आमादा है तथा अब अप्रार्थी सं. 3 कुछ दिनों से प्रार्थी को धमकी देता है कि वे प्रार्थी के हक व हिस्सा की कृषि भूमि को रहन बैय व अन्य हर प्रकार से अन्तरण कर खुर्द बुर्द कर देगे । यदि अप्रार्थीगण अपने इन मनुसबों में कामयाब हो जाते है तो प्रार्थी को अपूर्णीय व अपरिमय क्षति होगी इसलिए उक्त तत्कालिक परिस्थितियों को देखते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आश्य की जारी की जावे कि ता निस्तारण वाद अप्रार्थीगण तहसील पीलीबंगा के चक नं. 29 एमओडी–बी के खाता सं. 61 के प.नं. 24/249 के किला नं. 6, 7, 12, 21 की 0.426 हैक्ट., प.नं. 19/254 के किला नं. 1/2, 5, 6, 15/2 की 0.769 हैक्ट. इस प्रकार कुल तादादी 1.195 हैक्ट. नहरी म.गै.मु. कृषि भूमि मे से 5/6 हिस्सा के मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे तथा प्रार्थी के अधिकार के विरूद्ध कोई दस्तावेज तहरीर करवाने से ममनु व बाज रहे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.10.22 12:21:59 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आश्य की जारी की जावे कि ता निस्तारण वाद अप्रार्थीगण तहसील पीलीबंगा के चक नं. 29 एमओडी–बी के खाता सं. 61 के प.नं. 24/249 के किला नं. 6, 7/2, 21 की 0.426 हैक्ट., प.नं. 19/254 के किला नं. 1/2, 5, 6, 15/2 की 0.769 हैक्ट. इस प्रकार कुल तादादी 1.195 हैक्ट. नहरी म.गै.मु. कृषि भूमि मे से 5/6 हिस्सा के मौका व रिकॉर्ड की

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

यथास्थिति बनाये रखे तथा प्रार्थी के अधिकारों के विरूद्ध कोई दस्तावेज तहरीर करवाने से मम्नु व बाज रहे।

जबाव प्रार्थना पत्र अप्रार्थी सं. 4, 5 की ओर से निम्न प्रकार से है:–

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 1 मे मात्र वाद पत्र पेश होने की हद तक कथन स्वीकार है। शेष कथन अस्वीकार है। मिन अप्रार्थीगण द्वारा जबाव दावा मय प्रतिवाद पत्र प्रस्तुत किया है जिसमे मिन अप्रार्थीगण को कामयाबी की पूर्ण संभावना है। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन मिन अप्रार्थीगण के पक्ष मे है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 स्वीकार है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 राजस्व रिकॉर्ड से संबंधित है स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 4 स्वीकार है। पूर्व में वादग्रस्त रकबा मिन अप्रार्थीगण के दादा श्री नत्थू वल्द लाधूराम के नाम से दर्ज राजस्व रिकॉर्ड थी जिनके देहान्त के पश्चात उनके वारिसों अर्थात मिन अप्रार्थीगण के पिता श्री हरीराम पुत्र नत्थूराम के नाम से विरासतन ओद होकर तत्पश्चात कृषि भूमि का विभाजन हुआ और मिन अप्रार्थीगण के पिता श्री हरीराम के नाम से राजस्व रिकॉर्ड मे इन्द्राज हुई। मिन अप्रार्थीगण के पिता श्री हरीराम के देहान्त के पश्चात मिन अप्रार्थी सं. 1 की माता परिवार की मुख्या कर्ता होने के कारण अप्रार्थी सं. 2 ता 5 ने अपना समस्त हक व हिस्सा का त्याग अपनी माता यानि अप्रार्थी सं. 1 मे कर दिया। इस प्रकार अप्रार्थी सं. 1 के नाम वर्णित कृषि भूमि मिन अप्रार्थीगण की पैतृक कृषि भूमि है जिसमे मिन अप्रार्थीगण का 2/5 हिस्सा ब.हि.ब. का हक व हिस्सा बनता है जिसकी मिन अप्रार्थी घोषणा करवाने की अधिकारिनी है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 5 अस्वीकार है। मिन अप्रार्थी ने अपना हक व हिस्सा अपनी माता अप्रार्थी सं. 1 के हक मे बतौर परिवार की मुखिया होने के कारण किया था और मिन अप्रार्थी के दोनो भाई यानि अप्रार्थी सं. 2–3 ने मिन अप्रार्थीगण को वार तीज त्योहार एवं घरेलू कार्यक्रम मे मिन अप्रार्थीगण को अपने ससुराल से लाने का आश्वासन दिया और घरू अपना हक बंटवारा के कारण ही मिन अप्रार्थीगण व मिन अप्रार्थीगण के भाईयों ने अपना व हिस्सा अप्रार्थी सं. 1 के हक में त्याग कर दिया तथा घरू बंटवारा मे यह तय हुआ था कि मिन अप्रार्थीगण की माता के जीवनकाल मे वादग्रस्त भूमि का उपयोग व उपभोग अपने भरण पोषण, जीवन यापन हेतू माता कर सकेगी। कृषि भूमि का विक्रय रहन या अप्रार्थी सं. 2 ता 5 के हक व हिस्सा के विरूद्ध किसी प्रकार का दस्तावेज निष्पादन नहीं कर सकेगी तथा अप्रार्थी सं. 1 अपनी स्वतंत्र सहमति एवं ईच्छा से अप्रार्थी सं. 2 से पास रहने लगी जिसकी देखभाल मिन अप्रार्थी सं. 2 ने ली। मिन अप्रार्थीगण द्वारा माता के हक मे हक हिस्सा त्याग करने के पश्चात अप्रार्थी सं. 3 के मन में बदनियति आ गई और अप्रार्थी सं. 3 कुछ दिन पूर्व माता को बहला फुसलाकर और अपने चुंगलो में करके मिन अप्रार्थीगण के हक व हिस्सा को खुर्द बुर्द करने के उद्देश्य से अपने पास अप्रार्थी सं. 2 के घर से ले गया और अब अप्रार्थी सं. 3 ने मिन अप्रार्थीगण की माता को बंधक बना रखा है और मिन अप्रार्थीगण को अपनी माता यानि अप्रार्थी सं. 1 से मिलने नही देता है इसलिए वादग्रस्त रकबा मे अप्रार्थी सं. 1 के नाम वर्णित भूमि मे मिन अप्रार्थीगण का 2/5 हिस्सा का ब.हि.ब. का हक व हिस्सा है। प्रार्थी मिन अप्रार्थी से कोई हक व हिस्सा की घोषणा लेना का अधिकारी नहीं है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 6 में वर्णित कथन प्रार्थी से संबंधित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.10.22 12:21:59 IST
Reason: SelfAttested

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 7 स्वीकार है। अप्रार्थी सं. 3 ने मिन अप्रार्थी की माता अप्रार्थी सं. 1 को बंधक बना रखा है। पारिवारिक राजीनामा अनुसार अप्रार्थी सं. 1 परिवार की मुखिया होने के कारण मिन अप्रार्थीगण व मिन अप्रार्थीगण के भाईयो ने अपना अपना हक व हिस्सा

का त्याग मिन अप्रार्थी सं. 1 के हक मे इस आश्य से किया था कि माता के जीवनकाल तक माता उक्त कृषि भूमि की फसल पैदावार अपने भरण पोषण एवं जीवनयापन हेतू कर सकेगी । माता के देहान्त के पश्चात उक्त कृषि भूमि मे अप्रार्थी सं. 2 ता 5 का ब.हि. ब. का हक व हिस्सा होगा। मिन अप्रार्थीगण को अप्रार्थी सं. 3 धमकी देता है कि वादग्रस्त भूमि को माता यानि अप्रार्थी सं. 1 से विक्रय करवाकर समस्त हक व हिस्सा हड़प लूंगा। यदि अप्रार्थी सं. 1, 3 अपने इन मनुसबों में कामयाब हो जाते है तो अप्रार्थीगण को अपूर्णीय व अपरिमय क्षति होगी इसलिए उक्त तत्कालिक परिस्थितियों को देखते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण इस जारी की जावे कि ता निस्तारण वाद वादग्रस्त रकबा के मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे तथा मिन अप्रार्थीगण के अधि विरूद्ध कोई दस्तावेज निष्पादन करने से अप्रार्थी सं. 1 ममनू व बाज रहे।

अतः जबाव प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि मिन अप्रार्थीगण का जबाव प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सं. 1 के नाम वर्णित कृषि भूमि पर ता निस्तारण वाद वादग्रस्त रकबा के मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे तथा मिन अप्रार्थीगण के अधिकारों के विरूद्ध कोई दस्तावेज निष्पादन करने से अप्रार्थी सं. 1 ममनू व बाज रहे। यह जबाव प्रार्थना पत्र अप्रार्थी सं. 2 की ओर से निम्न प्रकार से है। कि प्रार्थना पत्र की दफा 1 मे मात्र वाद पत्र पेश होने की हद तक कथन स्वीकार है। शेष कथन अस्वीकार है। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन मिन अप्रार्थी के पक्ष है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 स्वीकार है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 राजस्व रिकॉर्ड से संबंधित है स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 4 स्वीकार है । पूर्व मे वादग्रस्त रकबा मिन अप्रार्थी के दादा श्री नत्थू वल्द लाधूराम के नाम से दर्ज राजस्व रिकॉर्ड थी जिनके देहान्त के पश्चात उनके वारिसों अर्थात मिन अप्रार्थी के पिता श्री हरीराम पुत्र नत्थूराम के नाम से विरासतन ओद होकर तत्पश्चात कृषि भूमि का विभाजन हुआ और मिन अप्रार्थी के पिता श्री हरीराम के नाम से राजस्व रिकॉर्ड मे इन्द्राज हुई । मिन अप्रार्थी के पिता श्री हरीराम के देहान्त के पश्चात मिन अप्रार्थी सं. की माता परिवार की मुख्या कर्ता होने के कारण अप्रार्थी सं. 2 ता 5 ने अपना समस्त हक व हिस्सा का त्याग अपनी माता यानि अप्रार्थी सं. 1 मे कर दिया। इस प्रकार अप्रार्थी सं. 1 के नाम वर्णित कृषि भूमि मिन अप्रार्थी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमे प्रार्थी, अप्रार्थी सं. 2, 6 का 1/5 हिस्सा, अप्रार्थी सं. 3 ता 5 का 4/5 हिस्सा, अप्रार्थी सं. 1 का 1/5 हिस्सा का हक व हिस्सा है ।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 5 अस्वीकार है। मिन अप्रार्थी ने अपना हक व हिस्सा अपनी माता अप्रार्थी सं. 1 के हक में बतौर परिवार की मुख्या होने के कारण किया था, मिन अप्रार्थी सं. 4–5 ने अपना मुख्या अपना हक व हिस्सा भी माता अप्रार्थी सं. 1 परिवार की होने के कारण किया था तथा घरू बंटवारा यह तय हुआ था कि माता यानि अप्रार्थी सं. 1 के जीवनकाल में वादग्रस्त भूमि का उपयोग व उपभोग अपने भरण पोषण, जीवन थापन हेतू माता कर सकेगी। कृषि भूमि का विक्रय, [illegible] 5 के हक व हिस्सा के विरूद्ध किसी प्रकार का दस्तावेज निष्पादन नही कर सकेगी [illegible] सं. 1 अपनी स्वतंत्र सहमति एवं ईच्छा से मिन अप्रार्थी से पास [illegible] अप्रार्थी ने कुछ दिन पूर्व अप्रार्थी सं. 3 जो कि लालची प्रवृत्ति [illegible] को बहला फुसलाकर और अपने चुंगलो मे करके मिन अप्रार्थी के हक व हिस्सा को खुर्द [illegible] करने की फिराक मे है। अप्रार्थी सं. 1 का अपने सभी पुत्रों व पुत्रीयों के साथ हार्दिक स्नेह एवं प्रेम है इसलिए वादग्रस्त रकबा में अप्रार्थी सं. 1 के नाम वर्णित भूमि मे मिन अप्रार्थी का 1/5 हिस्सा का हक व हिस्सा है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.10.22 12:21:59 IST
Reason: SelfAttested

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 6 अस्वीकार है। वादी व अप्रार्थी सं. 6 का अप्रार्थी सं. 1 के नाम वर्णित कृषि भूमि मे मिन अप्रार्थी के 1/5 हिस्सा मे से 2/3 हिस्सा का हक व हिस्सा बनता है जिसकी घोषणा की जावे । शेष रकबा का मिन अप्रार्थी के नाम से घोषणा की जावे अपना हक यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 7 स्वीकार है। अप्रार्थी सं. 3 ने मिन अप्रार्थी की मात अप्रार्थी सं. 1 को बंधक बना रखा है। पारिवारिक राजीनामा अनुसार अप्रार्थी सं. 1 परिवार की मुख्या होने के कारण मिन अप्रार्थी व मिन अप्रार्थी के भाई बहन ने अपना व हिस्सा का त्याग मिन अप्रार्थी सं. 1 के हक मे इस आश्य से किया था कि माता के जीवनकाल तक माता उक्त कृषि भूमि की फसल पैदावार अपने भरण पोषण एवं जीवनयापन हेतू कर सकेगी । माता के देहान्त के पश्चात उक्त कृषि भूमि मे अप्रार्थी सं. 2 ता 5 का ब.हि.ब. का हक व हिस्सा होगा और मुताबिक घरू बंटवारा के माता मिन अप्रार्थी के साथ रिहायस करने लगी लेकिन अप्रार्थी सं. 3 कुछ समय पूर्व बहला फुसलाकर अप्रार्थी सं. 1 को अपने पास ले गया और मिन अप्रार्थी को अपनी माता से मिलने नही देता है। मिन अप्रार्थी को अप्रार्थी सं. 3 धमकी देता है कि वादग्रस्त भूमि को माता यानि अप्रार्थी सं. 1 से विक्रय करवाकर समस्त हक व हिस्सा हड़प लूंगा । यदि अप्रार्थी सं. 1, 3 अपने इन मनुसबों में कामयाब हो जाते है तो मिनवादी को अपूर्णीय व अपरिमय क्षति होगी इसलिए उक्त तत्कालिक परिस्थितियों को देखते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्व अप्रार्थी सं. 1 इस आश्य की जारी की जावे कि वे वादग्रस्त रकबा के मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। अतः जबाव प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि मिन प्रार्थी का जबाव प्रार्थना पत्र इस आश्य से स्वीकार किया जावे कि अप्रार्थी सं. 1 के नाम वर्णित तहसील पीलीबंगा के चक नं. 29 एमओडी – बी के खाता सं. 61 के प.नं. 24/249 के किला नं. 6, 7/2, 21 की 0.426 हैक्ट., प.नं. 19/254 के किला नं. 1/2, 5, 6, 15/2 की 0.769 हैक्ट. इस प्रकार कुल तादादी 1.195 हैक्ट. नहरी म.गै.मु. कृषि भूमि मे से 5/6 हिस्सा के मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे ।

बहस प्रार्थना पत्र उभ्य पक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों का दोहराते हुए कथन किये गये कि प्रश्नगत रकबा हरीराम के देहान्त के बाद हक त्याग से प्राप्त हुई है विरासतन नहीं है जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 का कब्जा काश्त है इस लिए अस्थाई निषेधाज्ञा ता फैसला कन्फर्म करने का निवदेन किया। अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किये कि अप्रार्थी संख्या 2, 4, 5 को कोई एतराज नहीं है यदि अस्थाई निषेधाज्ञा ता फैसला अनवरत् किया जाता है। बहस उभय पक्ष पर भलीभांति मनन किया गया। पत्रावली व पेशा प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का गहराई से अध्ययन किया गया। यह न्यायालय स्थगनादेश जारी किए जाने पर इसलिए सहमत नहीं होता है क्योंकि अप्रार्थी संख्या 2, 4, 5 की सहमति है एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया उभय पक्षों के हकों का निर्धारण मूल वाद में तय होना है हकों के संबंध में उभय पक्ष द्वारा मूल वाद में प्रभावी पैरवी की जा सकती है स्थगन आदेश ता फैसला दावा कन्फर्म किए जाने से किसी पक्ष को नुकसान नहीं है। बल्कि उभय पक्षों के मध्य आगे विवाद नहीं बढने में सहायक ही है। अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप दिनांक 07.10.2020 को [illegible] स्थगन आदेश ताफैसला दावा कनफर्म किया जाता है। पत्रावली नतीजा से [illegible] तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। यह आदेश आज दिनांक [illegible] को इजलास पढ़कर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.10.22 12:21:59 IST
Reason: SelfAttested

(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा